# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.2(20)डीओपी/ए-II/84 जयपुर, दिनांक: 12.2.2024

## अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 17.02.1995 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

**2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा** (सिंचाई शाखा) **नियम, 1967,** जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"(ङ) निरसित उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी., चंबल विभाग कोटा (उसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेदिक सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ शाखा) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और विभिन्न स्थायी आदेशों (आर.सी.पी., आईजीएनपी,

चंबल परियोजना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही परियोजना सहित) के अधीन भर्ती किये गये तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख को विभाग में कार्यरत समस्त व्यक्ति।"

**3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के विद्यमान परंतुक (12) के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"(12) ऐसे समस्त कार्य-प्रभारित कर्मचारी जो, निरसित उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी., चंबल विभाग कोटा (उसके खण्डों/ उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेदिक सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और विभिन्न स्थायी आदेशों (आर.सी.पी., आईजीएनपी, चंबल परियोजना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही परियोजना सहित) के अधीन भर्ती किये गये थे तथा जिन्हें चयन ग्रेड/एसीपी या तो शोध्य है या प्राप्त कर रहे हैं और जो प्रारंभिक पदोन्नत भर्ती पद पर कार्यरत हैं और अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत नहीं किये गये हैं को, अनुसूची-IV में यथोल्लिखित पुनर्पदाभिहित किया जायेगा। ऐसे पुनर्पदाभिहित कार्य प्रभारित कर्मचारियों को अनुसूची-IV के उपबंधों के अनुसार पदों पर उन्नत/पदोन्नत किया जायेगा,-

(i) ऐसे पुनर्पदाभिहित कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को जो 31मार्च, 2023 से पूर्व अधिवार्षिकी हो गये हैं, अनुसूची-IV के अनुसार पदोन्नत किया जायेगा।

(ii) विद्यमान कार्य-प्रभारित कर्मचारियों पर, जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनियमों और निदेशों के अनुसार उनके अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष की संतोषप्रद और निरंतर सेवा पूर्ण कर लेने पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(iii) केवल वे पद अस्तित्व में होंगे जिन पर 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी द्वारा धारित पूर्ववर्ती पद को पदोन्नति/उन्नयन के पश्चात् समाप्त कर दिया जायेगा। ये पद स्वत: समाप्त हुये समझे जायेंगे और इन पदों पर भविष्य में कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।

(iv) राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात्, उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी., चंबल विभाग कोटा (उसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेदिक सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और इस संबंध में जारी किये गये अन्य स्थायी आदेश निरसित हो जायेंगे तथा कार्य-प्रभारित कर्मचारी इन नियमों के अधीन शासित होंगे।

**4.** अनुसूची-IV **का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान** अनुसूची-IV **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

Gm

## "अनुसूची-IV
## ग्रुप-I
## सामान्य पद

| क्र.सं. | कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम | पुनर्पदाभिहित पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **1. बेलदार** | **संकर्म सहायक** | **वरिष्ठ संकर्म सहायक** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | |
| | **2. मजदूर** | | | | | |
| | **3. हाली** | | | | | |
| | **4. चौकीदार** | | | | | |
| | **5. वार्ड कीपर** | | | | | |
| | **6. फर्राश** | | | | | |
| | **7. झाड़ूकश (स्वीपर)** | | | | | |
| | **8. धोबी** | | | | | |
| | **9. पानीवाला** | | | | | |
| | **10. खलासी** | | | | | |

6wr

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11. भिष्ती | | | | | |
| | 12. माली | | | | | |
| 2. | 13. मेट | वरिष्ठ संकर्म सहायक | प्रधान संकर्म सहायक | तकनीशियन-III | तकनीशियन-II | |
| | 14. प्रधान बेलदार | | | | | |
| | 15. भंडार परिचारक | | | | | |
| | 16. भंडार सहायक | | | | | |
| | 17. प्रधान बागवान | | | | | |
| | 18. जमादार | | | | | |
| | 19. हैल्पर ग्रेड-II | | | | | |
| | 20. फायरमैन ग्रेड-II | | | | | |
| | 21. प्रयोगशाला परिचारक | | | | | |
| | 22. गेज रीडर | | | | | |
| 3. | 23. रोड मिस्त्री | प्रधान संकर्म सहायक | तकनीशियन-III | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | |
| | 24. मोहर्रिर | | | | | |
| | 25. अमीन | | | | | |
| | 26. मुंशी | | | | | |
| | 27. गोदामी | | | | | |
| | 28. हैल्पर ग्रेड-I | | | | | |
| | 29. फायरमैन ग्रेड-I | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.कनिष्ठ पोशिष साज (जूनियर अप्होलस्टर) | | | | | |
| | 31. कनिष्ठ केनमैन | | | | | |
| | 32. सारणीकार(टेब्यूलेटर) | | | | | |
| 4. | 33. स्टोन कटर या ड्रेसर | तकनीशियन-III | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | |
| | 34. मेसन | | | | | |
| | 35. लाईनमैन | | | | | |
| | 36. मोल्डर ग्रेड-II | | | | | |
| | 37. बेधक (बोरर) | | | | | |
| | 38. वरिष्ठ पोशिष साज (सीनियर अप्होलस्टर) | | | | | |
| | 39. वरिष्ठ केनमैन | | | | | |
| 5. | 40. मिस्त्री सिविल संकर्म ग्रेड-III | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | |
| | 41. बढ़ई | | | | | |
| | 42. लुहार ग्रेड-II | | | | | |
| | 43. दर्जी | | | | | |
| | 44. मैकेनिक ग्रेड-II | | | | | |
| | 45. फिटर ग्रेड-II | | | | | |
| | 46. रंगसाज (पेंटर) ग्रेड-II | | | | | |

6/11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47. प्लम्बर ग्रेड-II | | | | |
| | 48. खरादी (टर्नर) ग्रेड-II | | | | |
| | 49. इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II | | | | |
| | 50. पंप और मशीन ड्राइवर | | | | |
| | 51. वेल्डर ग्रेड-II | | | | |
| | 52. वायरमैन ग्रेड-II | | | | |
| | 53. भंडार मुंशी | | | | |
| | 54. मुंशी | | | | |
| | 55. समयपालक (टाइमकीपर) | | | | |
| | 56. ट्रेसर | | | | |
| | 57. मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनरी के चालकों से भिन्न मोटरयानों का चालक | | | | |
| | 58. सर्वेक्षण अमीन | | | | |
| 6. | 59. फोरमैन | तकनीशियन।- | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | |
| | 60. मोल्डर ग्रेड-I | | | | | |
| | 61. मिलर ग्रेड-I | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62. मोटर बाईडंर | | | | | |
| | 63. वरिष्ठ मेसन | | | | | |
| 7. | 64. मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनरी के चालक | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | |
| 8. | 65. प्रयोगशाला सहायक | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | |
| | 66. मैकेनिक ग्रेड-I | | | | | |
| | 67. इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-I | | | | | |
| | 68. वायरमैन ग्रेड-I | | | | | |
| | 69. वेल्डर ग्रेड-I | | | | | |
| | 70. खरादी (टर्नर) ग्रेड-I | | | | | |
| | 71. वरिष्ठ बढ़ई | | | | | |
| | 72. लुहार ग्रेड-I | | | | | |
| | 73. प्लम्बर ग्रेड-I | | | | | |
| | 74. रंगसाज (पेंटर) ग्रेड-I | | | | | |
| | 75. मिस्त्री ग्रेड-II | | | | | |
| | 76. पर्यवेक्षक (भंडार) | | | | | |
| 9. | 77. पर्यवेक्षक | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | |
| | 78. सर्वेक्षक | | | | | |
| | 79. वरिष्ठ फोरमैन | | | | | |

Gwb

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80. ड्रिलर | | | | | |
| | 81. बेधन प्रचालक (बोरिंग ऑपरेटर) | | | | | |
| | 82. मॉडलर्स | | | | | |

bel

ग्रुप-II

राजस्थान नहर परियोजना, चम्बल परियोजना,राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही परियोजना में यांत्रिकी और इलैक्ट्रिकल पद

| क्र.सं. | कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम | पुनर्पदाभिहित पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **1. कुशल कर्मकार<br>2. हैल्पर<br>3.सहायक<br>4.ग्रीसर<br>5.हथौड़ेवाला<br>6.अन्य अर्द्ध कुशल कर्मकार** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | **तकनीशियन-II** | **तकनीशियन-I** | |
| 2. | **7. फिटर और लाइनमैन** | **तकनीशियन-III** | **तकनीशियन-II** | **तकनीशियन-I** | **वरिष्ठ तकनीशियन** | |
| 3. | **8. पंप ऑपरेटर ग्रेड-II** | **तकनीशियन-II** | **तकनीशियन-I** | **वरिष्ठ तकनीशियन** | **प्रधान तकनीशियन** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 9. केबल जोड़ने वाला<br>10. लुहार, ठठेरा, टीनकार, और विद्युत पर्यवेक्षक ग्रेड-II<br>11. यांत्रिक, इलैक्ट्रिशियन, वेल्डर और सांचागार (मोल्डर) ग्रेड-III | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | |
| 5. | 12. लुहार, ठठेरा, टीनकार,और विद्युत पर्यवेक्षक ग्रेड-I<br>13. यांत्रिक, इलैक्ट्रिशियन, वेल्डर और सांचागार (मोल्डर) ग्रेड-II<br>14. चेन टाइप क्रॉलर, ट्रेक्टर ड्रैगलाइन क्रेन्स, खरादों और मशीनों इत्यादि के | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | |

G.M

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ऑपरेटर, ग्रेड-II | | | | | |
| 6. | 15. पंप ऑपरेटर ग्रेड-I | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | |
| 7. | 16. सहायक फोरमैन और चार्जमैन<br>17. पर्यवेक्षक<br>18. चेन टाइप क्रॉलर, ट्रेक्टर ड्रैगलाइन क्रेन्स, खरादों और मशीनों इत्यादि के ऑपरेटर, ग्रेड-I<br>19. यांत्रिक, इलैक्ट्रिशियन, वेल्डर और सांचागार (मोल्डर) ग्रेड-I | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | |
| 8. | 20. फोरमैन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | | | |

## ग्रुप-III

### राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारी

| क्र.सं. | कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम | पुनर्पदाभिहित पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **1. शिशु गृह परिचारक (पुरुष एवं महिला)**<br>**2. टेलीफोन परिचारक** | **संकर्म सहायक** | **वरिष्ठ संकर्म सहायक** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | |
| **2.** | **3. शिशु गृह स्वागत कर्ता** | **वरिष्ठ संकर्म सहायक** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | **तकनीशियन-II** | |
| **3.** | **4. शिशु गृह प्रभारी**<br>**5. स्विच बोर्ड परिचारक** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | **तकनीशियन-II** | **तकनीशियन-I** | |
| **4.** | **6. चावलिया** | **तकनीशियन-III** | **तकनीशियन-II** | **तकनीशियन-I** | **वरिष्ठ तकनीशियन** | |

6ml

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 7. टेलीफोन ऑपरेटर | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | |
| 6. | 8. रिवर्ट हीटर्स<br>9. मैकेनिक एवं परियोजना ऑपरेटर्स<br>10. फायर फाइटर्स<br>11. पर्यवेक्षक सारंग ग्रेड-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | |
| 7. | 12. फॉर्म मेकर<br>13. सहायक फॉर्म मेकर<br>14. पर्यवेक्षक सारंग ग्रेड-I | मुख्य तकनीशियन | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | |
| 8. | 15. विशेषज्ञ केबल जोड़ने वाला<br>16. कार्य अधीक्षक ग्रेड-II | वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | | |
| 9. | 17. विशेषज्ञ इलैक्ट्रिशियन | विशेषज्ञ तकनीशियन | | | | |

GMJ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **18. विशेषज्ञ फोरमैन**<br>**19. विशेषज्ञ वेल्डर**<br>**20. कार्य अधीक्षक** | | | | | |

ग्रुप-IV

**इं.गा.न.प. में गैर-यांत्रिकी और गैर-इलैक्ट्रिकल पद**

| क्र.सं. | कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम | पुनर्पदाभिहित पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **1. चौकीदार**<br>**2. बेलदार**<br>**3. मजदूर**<br>**4. खलासी**<br>**5. पानीवाला** | **संकर्म सहायक** | **वरिष्ठ संकर्म सहायक** | **प्रधान संकर्म सहायक** | **तकनीशियन-III** | |

6ml

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6. डाक रनर<br>7. गैंगमैन<br>8. भंडार चौकीदार | | | | |
| 2. | 9. किलिन मुंशी ग्रेड-II<br>10. बढ़ई ग्रेड-II<br>11. रंगसाज (पेंटर) ग्रेड-II<br>12. दारोगा<br>13. मेट<br>14. गार्ड<br>15. विद्युत पंप चालक<br>15क. कार्य पर्यवेक्षक/कार्य मिस्त्री ग्रेड-II | प्रधान संकर्म सहायक | तकनीशियन-III | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | |
| 3. | 16. ड्रेसर<br>17. मेसन | तकनीशियन-III | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18. उद्यान पर्यवेक्षक | | | | |
| | | | | | |
| 4. | 19. समयपालक (टाइम कीपर)<br>20. भंडारी<br>21. भंडार पर्यवेक्षक<br>22. कार्य पर्यवेक्षक/कार्य मिस्त्री ग्रेड-I<br>23. किलिन मुंशी ग्रेड-I<br>24. पंप ऑपरेटर ग्रेड-II<br>25. बढ़ई<br>26. रंगसाज (पेंटर) ग्रेड-I<br>27. चालक, कार<br>28. चालक, रोड रोलर<br>29. चालक, हल्के मोटरयान | तकनीशियन-II | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30. चालक, ट्रक<br>31. चालक, ट्रेक्टर<br>32. चालक, जीप<br>33. टेलीफोन ऑपरेटर | | | | | |
| 5. | 34. पंप ऑपरेटर ग्रेड-I | तकनीशियन-I | वरिष्ठ तकनीशियन | प्रधान तकनीशियन | मुख्य तकनीशियन | |

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

( जय सिंह )
संयुक्त शासन सचिव।

8/2024